(च) गाँव का स्वतंत्र सर्वेक्षण करना अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिए गए ऐसे सर्वेक्षण को सहायता प्रदान करना;

(छ) ग्राम परिषद द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन;

(ज) पशुशालाओं, खलिहानों, चरागाहों और सामुदायिक भूमि का नियंत्रण;

(झ) मेलों, तीर्थयात्राओं और उत्सवों की स्थापना, अनुरक्षण और नियमन;

(त्र) ऐसी शिकायतों की रिपोर्ट उचित प्राधिकरण को देना जो ग्राम परिषद द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता हो ।

(ट) ग्राम परिषद रिकार्डो को तैयार करना, अनुरक्षण करना और बनाए रखना;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा बताई गई तरीको से जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण करना;

(ड) परिसरों का संख्या लगाना ।

6. सामुदायिक विकास के क्षेत्र में :–

(क) विकलागों, निराश्रितों और रोगियों को राहत;

(ख) आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों के सहकारी गतिविधियों का आयोजन, प्रोत्साहन तथा सहायता;

(ग) परिवार नियोजन का प्रचार;

(घ) सामुदायिक कार्यों और गाँव के उत्थान के कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रमिकों का गठन ।

7. कृषि, वन संरक्षण तथा चरागाह भूमि के क्षेत्र में :–

(क) कृषि का योजनाबद्ध विकास;

(ख) कृषि उत्पादन बढ़ाने के उदेश्य से गाँव में कृषि का न्यूनतम मानक स्तर बनाए रखना;

(ग) खाद संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना, मिश्रित खाद तैयार करना और खाद की बिक्री;

(घ) उन्नत बीजों का उत्पादन, उन्नत बीजों के संवर्धन केंद्रों की स्थापना और उन्नत बीजों के उपयोग को प्रोत्साहित करना;